अर्जुन बनाम श्रीमती सजनी वगैरह, अपील संख्या 244/2018/223 आदेश दिनांक 21.08.2018

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र स्थगन पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में निवेदन किया कि राजस्व शिविर में लोक अदालत की भावना से उभय पक्ष की सहमति से ही प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा सकता हैं किन्तु परीक्षण न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई थी ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि प्रकरण में सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की अनुपालना कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना चाहिए था किन्तु उन्होने ऐसा नहीं कर अपने में निहित अधिकारित का प्रयोग करने में असफल रहने से उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है एवं उनका निर्णय बंटवारा राजस्व नियम 18 से 21 तथा आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों व न्याय के सहज तथा प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्च चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित नहीं फरमायी गयी तो अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 03 अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर भूमि का अन्य व्यक्तियों को बेचान कर देगा जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जाकर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकित नहीं किये जाने हेतु रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक केवियटकर्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सुनवायी किये बिना ही निर्णय पारित किया हैं । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2018 में वादी/प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज हैं तथा उभय पक्षकारान की सुनवाई की जाकर निर्णय

पारित किये गये हैं। यदि अपीलांट को कोई प्राथमिक आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस अपनी आपत्ति प्रकट करनी चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं की गई। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व वाद पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री जारी का निर्णय लोक अदालत में किया गया था। लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य प्रकरण में होने वाले राजीनामा एवं विधिक प्रार्थना पत्र का निस्तारण पक्षकारों की सहमति से ही किया जाता हैं एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि वाद/प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी को साक्ष्य व सुनवाइ का समुचित अवसर प्रदान कर वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के क्रम में ऐसा न कर विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता हैं। उपरोक्त विवचेन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपील को इसी स्तर पर निर्णत करना चाहते हैं। अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018, वाद संख्या 01/2018 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः उपरोक्त विवचेन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2018, वाद संख्या 01/2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वह राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल)नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।